

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आ0सं0 423104 /

पटना, दिनांक 7.5.2019

ग्रा0वि0-06-प्र0पदा0/09-19/2018

ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, बिहार प्रसार पदाधिकारी, संवर्ग नियमावली- 2008 के नियम- 6 (ख) एवं (ग) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य के निम्नांकित प्रसार पदाधिकारियों (30 एवं वा0) को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-6 में अंकित तिथि से परीक्ष्यमान घोषित करते हुए स्तंभ-7 में अंकित तिथि से उनकी सेवा सम्पुष्ट की जाती है:-

क्रमांक	प्रसार पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक	गृह जिला	जन्म तिथि	संवर्ग में योगदान की तिथि एवं परीक्ष्यमान घोषित किये जाने की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	स्व0 नन्द कुमार गुप्ता	28	रोहतास	31.03.1956	22.05.1986	22.05.1988
2	श्री अनिल कुमार	78	भोजपुर	19.01.1959	22.08.1987	22.08.1989
3	श्री आशुतोष ठाकुर	90	बाँका	02.04.1953	19.12.1987	19.12.1989
4	श्री अरविन्द कुमार मुन्ना	160	पटना	03.08.1959	30.11.1992	30.11.1994
5	श्री बिनोद कुमार सिंह	182	पटना	19.07.1965	08.02.1994	08.02.1996

2. यह सम्पुष्टि आदेश ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प जापांक- 190282 दिनांक- 01.07.2014 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
3. प्रस्ताव में सचिव की सहमति प्राप्त है ।
4. इसकी प्रति विभागीय Website Rdd.bih.nic.in पर जानकारी हेतु प्रकाशित की गई है ।

विश्वासभाजन



7.5.19
(राजेश परिमल)

सरकार के उप सचिव

जापांक 423104 /

पटना दिनांक 7.5.2019


प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / उपर्युक्त सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


7.5.19
सरकार के उप सचिव

जापांक 423104 /

पटना दिनांक 7.5.2019

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।


7.5.19
सरकार के उप सचिव